132/3,40

संख्याः– ——— /XXIV(6)/2017–42(4)/12

प्रेषक,

डॉ0 राघव लंगर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) **देहरादून, दिनॉक 31 मई, 2017**

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के मानक मद–43 वेतनादि में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–UOU/वित्त/बजट/2016–17/10/200/5341 दिनांक 05.04.2017 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 312/3(50)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 के क्रम में सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के मानक मद–43 वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान में **प्राविधानित धनराशि रू0 110.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 55.00 लाख (रू0 पछपन लाख मात्र)** की धनराशि संलग्न एलोटमेंट आई.डी. संख्या– H170611004З के अनुसार अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) धनराशि आहरण व व्यय करने में वित्त विभाग, के शासनादेश संख्या–312/3(50)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल पर निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएगें।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(4) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी ओदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) व्यय करते समय मितव्ययता के संबध में समय–समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्यता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय।

(7) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाएगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा।

(8) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को माह की अगली 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय लेखानुदान के वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालयों को सहायता, 07–राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, 43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(50)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 राघव लंगर)
अपर सचिव।

संख्याः–476 (1)/XXIV(6)/2017/42 (4)/12, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
6. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी।
7. निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।